## आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)b के तहत आर०एम० वाद सं०-19/2017-18 अनील कुमार महतो......विक्रेता

हीरालाल महतो वगैरह.....

22-10-22 अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, तमाड़ के द्वारा इस वाद में जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। उक्त वाद में विक्रेता एवं क्रेता को इस न्यायालय ज्ञापांक—974(ii) / रा॰ दिनांक—21.09.2022, एवं ज्ञापांक—1094(ii) / रा॰ दिनांक-14.10.2022, के द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेत् नोटिस निर्गत किया गया है। जिसके पश्चात भी विक्रेता / क्रेता न्यायालय में अनुपस्थित है। विक्रेता अनील कुमार महतो पिता-स्व० रामपदो महतो, ग्राम-ईचाडीह, टोला जोजोडीह, थाना-तमाड़, जिला-राँची, जाति-कुर्मी, महतो, पेशा-खेती, एवं उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस अनुमित वाद में किसी भी तरह की पैरवी नहीं की जा रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि विक्रेता / क्रेता को इस अनुमति वाद में किसी प्रकार की कोई अभिरूचि नही है।

अतः ऐसी परिस्थित में उपरोक्त अनुमति की कार्यवाही समाप्त की जाती

है।

भारत का विवरणा

मौजा	थाना / थाना	खाता सं०	प्लॉट	रकबा
	स०		स०	
टीम्पुर	तमाड़ / 148	209	553	06 डी०

लेखापित एंव संशोधित।

भूमि सुधार छिपे समाहर्ता, बुण्डू (राँची)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बण्डु (राँची)।